न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 207 / 2021 निर्णय दिनांक :– 15.07.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. सरदार पुत्र रंगा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जगत्या तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
2. कन्हैया लाल पुत्र सुखदेवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जगत्या तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
3. काली पत्नी सुखदेवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जगत्या तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
4. छीतर पुत्र लादू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जगत्या तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
5. रामदेव पुत्र रंगा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जगत्या तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
6. रामरतन पुत्र रंगा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जगत्या तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
7. हंसी पुत्री सुखदेवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जगत्या तहसील दूनी जिला–टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार जी दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
2. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री छीतर सिंह
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 3 ख. नं.144 रकबा 0.57 है0, ख. नं. 145 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम जगत्या पटवार हल्का देवड़ावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। खातेदारी गलोल पत्नी रंगा फोत हो चुकी है जिसके हम प्रार्थीगण वारिसान है। खाता संख्या 1 काश्तकार राज0 सरकार के नाम पर दर्ज ख. नं. 135 गै0 मु0 रास्ता व 140 गै0 मु0 गड्डा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा ख. नं. 139 सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीगण काफी वर्षो से अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि में ख. नं. 135 व 140 से होकर सिवायचक भूमि ख. नं. 139 में से होकर आते जाते रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर जाते ले जाते है। अन्य

कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। सिवायचक भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जिससे रास्ता अवरूद्ध हो गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में आने जाने का रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये ख. नं. 135 व 140 से सिवायचक भूमि ख. नं. 139 में से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए आर. टी. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 3 ख. नं. 144 रकबा 0.57 है0, ख. नं. 145 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम जगत्या पटवार हल्का देवड़ावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये ख. नं. 135 व 140 से सिवायचक भूमि ख. नं. 139 में से होकर 20 फीट चोड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:–प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 144, 145 पर पहुंचने के लिये ख. नं. 135,140, 139 वाके ग्राम जगत्या से रास्ता दिये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु ख. नं. 135 व 139 के मध्या ख. नं. 186/138 रकबा 0.14 है, खातेदार जमनालाल पुत्र श्री कालू मीणा निवासी आमली की खातेदारी का खेत है , जिसमें से रास्ता दिये जाने का वाद में आवेदन नहीं किया गया है। ख. नं. 186/138 में से होकर प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 144, 145 पर पहुंचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी इन्ही खसरा नम्बरो से अपनी आराजी में आता जाता रहा है। अतः रास्ता दिया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार ख. नं. 144, 145 पर जाने के लिए 135, 140, 139 से रास्ता चाहा है परन्तु तहसीलदार रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख. नं. 135 व 139 के मध्य ख. नं. 186/138 रकबा 0.14 है0 है जिसमें से प्रार्थी ने रास्ते की प्रार्थना नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र में आवश्यक खसरा नम्बर एवं खातेदारों का अंकन नहीं करने से प्रार्थना पत्र सारहीन है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली